

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2301

जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

किसान क्रेडिट कार्ड ऋण

2301. श्री नीरज मोर्य:

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

सुश्री इकरा चौधरी:

श्री लालजी वर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (सिबिल) स्कोर और 'अदेयता प्रमाण पत्र' से संबंधित बैंकों की कड़ी शर्तों के कारण 4 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर वाले किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों से वंचित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप वे निजी साहूकारों के ऋण जाल में फंस रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या 2026-27 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा के बावजूद बैंकों द्वारा मौजूदा ऋणों के नवीनीकरण में अत्यधिक विलंब किया जा रहा है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को किसान ऋण पोर्टल पर धीमी डेटा प्रविष्टि के कारण 3 प्रतिशत शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन का लाभ उठाने में तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार का उन बैंकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार है, जो फसल ऋण की स्वीकृति देते समय जबरन बीमा पॉलिसी या अन्य वित्तीय उत्पाद थोपते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) एक अविनियमित ऋण परिवेश में, ऋणदाता अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और लागू विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋण संबंधी निर्णय लेते हैं। इसके अलावा, बैंक और वित्तीय संस्थान एक या एक से अधिक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (सीआईसी) से उधारकर्ताओं की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्राप्त करते हैं ताकि सिस्टम में उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऋण संबंधी निर्णय लिए जा सकें। इस प्रकार की रिपोर्टों का उपयोग मुख्य रूप से सम्यक् तत्परता के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अन्य ऋणदाता संस्थानों के पास उधारकर्ताओं के पुनर्भुगतान इतिहास और किसी भी मौजूदा डिफॉल्ट का आकलन करना होता है। हालाँकि,

आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण स्वीकृत करने के लिए उधारकर्ताओं से किसी भी न्यूनतम क्रेडिट स्कोर की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया है।

इसके अलावा, आरबीआई के 28 जनवरी 2015 के परिपत्र के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को यह सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत उधारकर्ताओं (एसएचजी और जेएलजी सहित) से सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत ऋणों सहित सभी प्रकार के ऋणों के लिए, शामिल रकम चाहे जो भी हो, 'नो ड्यू सर्टिफिकेट' प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दें, जब तक कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजना में ही 'नो ड्यू सर्टिफिकेट' प्राप्त करने का प्रावधान न हो।

(ख) किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ऋण सीमा की समीक्षा, उधारकर्ता द्वारा किए गए पुनर्भुगतान और लागू विनियामक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बैंक की ऋण नीति पर निर्भर करती है। इसके अलावा, एसएलबीसी उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि किसानों को निर्बाध फसल वित्त प्रदान करने के लिए, बैंकों को निरंतर यह सलाह दी गई है कि वे मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार केसीसी खातों का समय पर नवीनीकरण और समीक्षा सुनिश्चित करें।

(ग) सरकार ने सितंबर 2023 में किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) आरंभ किया है, जो केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत आधार-आधारित लाभार्थी प्रमाणीकरण और तेजी से डिजिटल दावा निपटान को सक्षम बनाता है। उक्त पोर्टल ने ब्याज सहायता (आईएस) और त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) दावों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर डायरेक्शन के जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण संबंधी द्वितीय संशोधन निर्देश, 2026 (जो 01 जनवरी 2027 से लागू है) के अनुसार, बैंकों को ग्राहक द्वारा अनुरोध किए गए उत्पाद/सेवा की बिक्री के साथ किसी अन्य उत्पाद/सेवा को अनिवार्य रूप से बंडल करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें बीमा पॉलिसी जारी करते समय ग्राहक की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, उक्त निर्देश के अनुसार, ग्राहक शिकायत के आधार पर किसी वित्तीय उत्पाद/सेवा की गलत बिक्री पुष्ट होने की स्थिति में, बैंक ग्राहक को वित्तीय उत्पाद/सेवा की खरीद के लिए भुगतान की गई पूरी राशि वापस करेंगे और जहां भी लागू हो, ग्राहक को बिक्री रद्द होने की सूचना भी देंगे। बैंक, अपनी अनुमोदित नीति के अनुसार, गलत बिक्री के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ग्राहक को मुआवजा भी देगा।
